

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

नारायण पिता रामचन्द्र बलाई नि. जोजर

बनाम

मांगीलाल पिता मगना बलाई नि. जोजर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 73<sup>0</sup>/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
28.10.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जोजर प. ह. शक्करगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 179/7 कुल किता 01 रकबा 05.00 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी प्रार्थी की कब्जा काशत कृषि भूमि के पडौस में स्थित अप्रार्थीगण की आराजियात के मेर पर स्थाई सीमा बिन्दु नहीं हैं इसलिये हकाई, जुताई, मेरे कटाई एवं अन्य कृषि कार्यों के समय सीमाओं के संबध में विवाद उत्पन्न होता हैं प्रार्थी अपने परिवार के स्वामित्व की संयुक्त कृषि आराजियात पर डोल लगाकर तथा कृषि भूमि को और अधिक उपजाउ बनाने की दृष्टि से उन्नत करना चाहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम जोजर प. ह. शक्करगढ तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 179/7 कुल किता 01 रकबा 05.00 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)